

DELHI JAL BOARD : GOVT. OF N.C.T. OF DELHI  
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (NORTH WEST)-NEAR WESTERN  
YAMUNA CANAL, H-BLOCK, SECTOR -15 ROHINI, NEW DELHI-110 085.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given in pursuance of section 9 (1) (a) of the Delhi Water Board Act, 1998 that in the area of state of Delhi as specified in the Schedule below, water is available from the water source of the Board for reasonable supply to all the lands and buildings in such area.

It is notified, that development charges for water @ Rs. 440.00 Per Sq.m. of the plotted area are recoverable, subject to following terms & conditions.

- (a) Water development charge would be recoverable at the rate Rs.100/- per sq.mtr. for properties used for residential purposes having area upto and including 200 Sq. Mtr. upto three months from the issuance of this Public Notice as per Notification No.DJB/DOR/DD(R)HQ-II/ 2015/7379 to 7567 dated 29-06-2015, or the last date of extended period of scheme of reduced rates of development charges as per Notification No.DJB/DOR/DD(R)HQ-I/1017/4258 to 4394 dated 11-05-2017 whichever is later.
- (b) If a consumer is unable to pay the development charges as per the notified rates in lump sum or in part, then in that case simple interest @ 10% per annum will be levied on expiry of 12 months period from the date of this notification of service in the colony.

The plot-holders / occupiers are advised to apply for sanction of water connection in the prescribed form which may be obtained from the office of Zonal Revenue Officer(NW)-II, Safabad Road Over Head Tank, Narela, Delhi-110040. The form can also be down-loaded from DJB's website: [www.delhijalboard.nic.in](http://www.delhijalboard.nic.in). After sanction of water connection and payment of initial charges, water development charges and road restoration charges, the applicant shall be allowed to obtain boring permission and executing the work at his level by engaging a licensed plumber. The onus will be on the plot-holders to get the bills from above office of D.J.B. for development charges to be paid.

## SCHEDULE

S. No.	Name of Colony	SITUATION /BOUNDARY			
		EAST	WEST	NORTH	SOUTH
1	Village Ghoga Extn. (Regd. No. 1411)	Ghoga Village	Agriculture Land	Ghoga Village	Govt. Sr. Sec. School Ghoga Village
2	Rajiv Colony Extn. (Regd. No. 593)	Piau Maniyari Road	Rajeev Colony Harijan Basti	Agriculture Land	Arya Samaj Road

Sd/-  
DIRECTOR (REVENUE)

No. DJB/EE(NW)II/2017-18/ 2522

Dated: 31/08/2017

### COPY TO:-

1. P.S to Chairperson (DJB) for information of Chairperson please.
2. Vice Chairman (DJB) for kind information.
3. All members of the board for kind information please.
4. Sh. Udit Raj Area MP. for kind information please
5. Area M.L.A., AC-01 Narela for information please.
6. Secretary to C.E.O. (DJB)
7. Member (Admn.)/Member(WS)/ member (Dr.)/ Member (Fin.)/ CVO/ CE (Maintenance)concerned.
8. Director(Revenue)/Dir(F&A)/DOV/ Secretary (DJB)
9. Jt. Directors (Revenue) concerned / Jt. Directors (Revenue)H.Q./ S.E. (Maintenance) concerned.
10. EE (P) Colony/EE (NW) II/Dy. Dir. (Revenue) West/ Dy. Dir. (Revenue)HQ-I.
11. ZRO (NW)-II Narela for issue of bills and to insure sanctioned of legal water connections and recovery of water development charge. ( Enclosed Survey Report of the Area)
12. Dy.A&FO (B)/Accounts Officer NW/AAO(NW)II/ZE-III (NW)-II C/o EE (NW)II.
13. In charge, EDP cell for information with request to display the same on DJB's website.
14. Consultant (PR) with 10, spare copies for publication in the leading news papers along with CD.
15. Project Manager, TCS Ltd. Site Office, 6<sup>th</sup> Floor, Varunalaya Phase-II Karol Bagh, New Delhi.
16. Office Copy.

  
EXECUTIVE ENGINEER (NW)-II

दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  
कार्यालय अधिशाषी अभियंता (उत्तर पश्चिम) - द्वितीय  
नियर पश्चिमी यमुना नहर, ब्लॉक-एच, सेक्टर-15, रोहिणी दिल्ली-110089

### सावजनिक सूचना

दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम - 1998 की धारा - 9 (1)(a) के प्रावधानों के निरन्तरता में जन साधारण की सामान्य जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है की नीचे अनुसूचित में दिए गये / निदिष्ट दिल्ली के प्रादेशिक क्षेत्र में अतिरिक्त में बोर्ड द्वारा उपलब्ध स्रोतों से सभी प्लाट एवं भवनों के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध है।

यह अधिसूचित किया जाता है की जल के विकास प्रभार @ 440.00/- रु प्रति वर्गमीटर प्लाट/क्षेत्र के अनुसार निचे दिए गए फार्मुला के अनुसार वसूले जाएंगे.

(ए) कॉलोनी अधिसूचना स. डीजेबी/डीओआर/डीडी (आर)एचक्यू-II/2016/1107 से 1242 दिनांक 31.01.2017 , डीजेबी/डीओआर/डीडी (आर)एचक्यू-II/2016/11991 से 12129 दिनांक 28.11.2016 , डीजेबी/डीओआर/डीडी (आर)एचक्यू-II/2016/10650 से 10794 दिनांक 30.09.2016 , डीजेबी/डीओआर/डीडी (आर)एचक्यू-II/2016/8252 दिनांक 15.07.2016 , डीजेबी/डीओआर/डीडी (आर)एचक्यू-II/2016/1201 से 1325 दिनांक 02.02.2016 , डीजेबी/डीओआर/डीडी (आर)एचक्यू-II/2016/7379 से 7567 दिनांक 29.06.2015 के अनुसार जल विकास प्रभार इस सावजनिक सूचना के जारी होने की तिथि से 3 माह तक 200 वर्ग मी. सहित एवं तक क्षेत्र सहित रिहायशी उद्देश्यों हेतु प्रयोग कि जाने वाली सम्पतियों हेतु 100 रु. वर्ग मी. दर पर वसूला जाएगा.

(बी) विकास प्रभारों की काम दर की पूर्वकथित योजना की समाप्ति पर यदि एक उपभोक्ता एकमुश्त या भाग में अधिसूचित दरों अनुसार विकास प्रभार का भुगतान करने में असमर्थ है, तब इस स्थिति में 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कॉलोनी में सर्विस की अधिसूचना की तिथि से 12 माह अवधि की समाप्ति पर वसूला जाएगा.

प्लाट धारकों / कब्जाधारकों को निर्धारित प्रपत्र में जल कनेक्शन के अनुमोदन हेतु आवेदन करने की सलाह दी जाती है, निर्धारित प्रपत्र को **राष्ट्रीय राजस्व कार्यालय (NW)-II, सफियाबाद रोड और हेड टैंक, नरैला, दिल्ली-110040** के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है. प्रपत्र को डीजेबी की वेबसाइट [www.delhijaboard.nic.in](http://www.delhijaboard.nic.in) से डाउनलोड भी किया जा सकता है. जल के कनेक्शन की अनुमति प्राप्त करने एवं प्रारंभिक प्रभार, जल विकास प्रभार एवं रोड के भरसाल के प्रभारों का भुगतान करने के बाद आवेदक को कनेक्शन प्राप्त करने तथा किसी लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर को नियुक्त करके अपने रस्तर पर कार्य निष्पादक की अनुमति होगी। यह जिम्मेवारी प्लाट धारक की होगी कि वे डीजेबी के उपरोक्त कार्यालय से विकास प्रभारों हेतु बिल प्राप्त करें एवं उनका भुगतान करें.

## अधिसूची

क्रम संख्या	कॉलोनी के नाम	स्थिति सीमा			
		पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1	घोगा एक्सटेंशन गाँव (रजिस्ट्रेशन नं 1411)	घोगा गाँव	खेती की जमीन	घोगा गाँव	राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय घोगा गाँव
2	राजीव कॉलोनी एक्सटेंशन (रजिस्ट्रेशन नं 593)	प्याऊ मन्थियारी रोड	राजीव कॉलोनी हरिजन बस्ती	खेती की जमीन	आर्य समाज रोड

निदेशक (राजस्व)

क्रम संख्या:- दि.ज.बॉ/अधि.अभि(उ.प.)-द्वितीय/2017/ 2522

दिनांक 31/8/2017

प्रतिलिपि

1. अध्यक्ष (दि. ज. बो.) के निजी सचिव को सूचना हेतु।
2. उपाध्यक्ष (दि. ज. बो.) को सूचना हेतु।
3. बोर्ड के सभी सदस्यों को सूचना हेतु।
4. डॉ. उदित राज, एरिया एम पी को सूचना हेतु।
5. क्षेत्रीय विधायक नरेला विधान सभा को सूचना हेतु।
6. सचिव सीईओ (दि. ज. बो.) को सूचना हेतु।
7. सदस्य(प्रशासन) / सदस्य (जल) / सदस्य (इंजिन) / सदस्य (वित्त) / सीवीओ सम्बंधित सीई (मेन्टेनन्स)।
8. निदेशक (राजस्व) / निदेशक (वित्त/लेखा) / डीओवी / सचिव (डीजेवी)।
9. सम्बंधित सयुक्त निदेशक (राजस्व) / सम्बंधित सयुक्त निदेशक (राजस्व) मुख्य कार्यालय / सम्बंधित अधीक्षण अभियंता (मेन्टेनन्स)।
10. अधि. अभियंता (पी) कॉलोनी / अधि. अभियंता (उ. प)-II / उपनिदेशक (राजस्व) पश्चिम / उपनिदेशक (राजस्व) मुख्य कार्यालय-I।
11. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ. प)-II नरेला, पानी का बिल जारी करने एवम वेध कनेक्शनों को स्वीकृत करने तथा विकास शुल्क की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु।
12. उप (वित्त/लेखा) अधिकारी (बी) / लेखा अधिकारी (उ. प) / सहायक लेखा अधिकारी (उ. प)-II / क्षेत्रीय अभियंता-III (उ. प)-II द्वारा अधि अभियंता (उ. प)-II।
13. प्रभारी ईडीपी सेल को सूचना एवं डीजेवी की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
14. सम्बंधित सलाहकार (पीआर) को सीडी एवं 10 अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
15. प्रोजेक्ट मैनेजर, टीसीएस लिमिटेड, साईट ऑफिस, 6th फ्लोर, वरुणालय फेज-II, करील बाग, नई दिल्ली।
16. कार्यालय प्रतिलिपि



अधिसूची अभियंता (उत्तर पश्चिम)-द्वितीय

6